को पेश हो। अग्रार्थी संख्या 1 ता 2 को अंतिम अवसर जवाब प्रार्थना हेतु दिया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

21-3-18 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण प्रतिवादीगण उपस्थित। ~~एस.डी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। भ्रमण पर है।~~ मिसल गत आदेशानुसार दिनांक 25.04.18 को पेश हो।

तलबी, जवाब प्रार्थना-पत्र।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

25.04.18 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण प्रतिवादीगण उपस्थित। एस.डी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। भ्रमण पर है। मिसल गत आदेशानुसार दिनांक 22.06.18 को पेश हो।

22.06.18 पत्रावली कैम्प कोर्ट गांगियासर पर पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आदेश दिनांक 20.06.17 को सुस्त (Conform) किया जाता है। अग्रार्थीगण को वाद के निर्णय तक ब्यारिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमि ख.नं. 430 0.0100 है., 431 0.0500 है., 432 0.0300 है., 433 4.9500 है., 434 0.0300 है. 435 3.7500 है. ग्राम उदनसर में वादीगण के पिता के हिस्से की भूमि का खेचान नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद जाप्ता कार्यवाही मूल वाद के सलंग्न हो।

(रेनू मीणा)
अध्यक्ष
लोक अदालत
फतेहपुर शेखावाटी
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

27/6-25
16-05-18